प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 01.03.2026

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए फायरिंग के मामले में 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एसओजी प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जयप्रकाश दुबे के गठित टीम द्वारा आज दिनांक 01.03.2026 को कुल 05 अभियुक्तगणो को बालूशासन पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना विवरण- दिनांक 28.02.2026 को वादी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया कि दिनांक 27.02.2026 को समय लगभग दोपहर 01:00 बजे, जब वादी अपने से लड़का को परीक्षा दिलाने के लिए जगदीश प्रसाद उपाध्याय इण्टर कालेज भदाह संतकबीरगनर स्कूल पर गये थे भदाह चौराहे पर उपरोक्त पाँचो एक साथ राड डण्डा लेकर मोटरसाईकिल से आये और मुझको माँ बहन कि गन्दी-गन्दी गाली देते हुए जान से मारने की नियत से कृष्णा यादव ने मेरे उपर फायर कर दिया मै किसी तरह बाल-बाल बच गया। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 123/2026, धारा धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 351(3), 352 बीएनएस व 7 CLA Act व 3/25/27, 4/25 Arms Act के अंतर्गत 05 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।
गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 3/25,4/25 आर्म्स एक्ट बीएनएस की बढ़ोत्तरी किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- कृष्णा यादव पुत्र स्व0 लवकुश यादव निवासी ओनिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- प्रेमप्रकाश सिंह पुत्र स्व0 राजबली सिंह निवासी ओनिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- हरिओम पासवान पुत्र जनार्दन पासवान निवासी राउतपार थाना कोतवाली जनपद संतकबीरनगर।
- विपिन भारती उर्फ कट्टा पुत्र जगदीश यादव निवासी अयचाकाट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- शेषनाथ तिवारी पुत्र स्व0 इंद्रजीत तिवारी निवासी सोनखर थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती।
- *अपराधिक इतिहास*
- 01. प्रेमप्रकाश सिंह पुत्र स्व0 राजबली सिंह निवासी ओनिया थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- कुल मुकदमा- 07
- मु0अ0सं0 460/2017 धारा 323,504 भादवि0, 3(1)(w)(1) SC/ST थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- मु0अ0सं0 177/2019 धारा 323,504 भादवि0, 3(1)(घ),3(1)(द) SC/ST थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- मु0अ0सं0 402/2019 धारा 323,504 भादवि0, 3(1)(घ),3(1)(द) SC/ST थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- मु0अ0सं0 697/19 धारा 302,34 भादवि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- मु0अ0सं0 699/19 धारा 25/3 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- मु0अ0सं0 021/25 धारा 109(1),326(a),351(3),49 बीएनएस0 व 25/3 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- मु0अ0सं0 327/25, धारा 2(b)(1),3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- 02. विपिन भारती उर्फ कट्टा पुत्र जगदीश यादव निवासी अयचाकाट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- कुल मुकदमा -02
- मु0अ0सं0 532/2022 धारा 363,366,376 भादवि0, ¾ पॉक्सो एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- मु0अ0सं0 56/2023 धारा 308,323,325,341,427,504,506 भादवि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

- 03.सूरज तिवारी उर्फ शेषनाथ तिवारी पुत्र स्व0 इंद्रजीत तिवारी निवासी सोनखर थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती।
- कुल मुकदमा -02
- मु0अ0सं0 244/2021 धारा 323,504,506 भादवि0 थाना मुण्डेरा जनपद बस्ती।
- मु0अ0सं0 548/2024 धारा 310(2),317(3),317(5),61(2)(a) बीएनएस0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-
01. 04 अदद एन्ड्राइड मोबाइल फोन।
02. 03 अदद अवैध पिस्टल
03. 06 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर
04. 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
05. 01 अदद मोटरसाइकिल
06. 01 अदद चाकू
07. 01 अदद तमंचा
08. 01 में कुल 950 रुपया

पूछताछ विवरणः- उक्त प्रकरण में अभियुक्त से पुछताछ किया तो बताया कि समाज में अपनी प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए इस तरीके का कार्य करते है।
गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

- निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद श्री जय प्रकाश दूबे, अपराध निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, चौकी प्रभारी कलेक्ट्रेट उ0नि0 श्री अशोक कुमार दूबे एवं चौकी प्रभारी मगहर उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, चौकी प्रभारी गौसपुर उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, चौकी प्रभारी औद्योगिक उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा, का0 प्रशान्त विक्रम सिंह, का0 अरुण कुमार, का0 धर्मेन्द्र कुमार,एसओजी टीम प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह, हे0का0 विवेक कुमार राय, हे0का0 अनूप कुमार राय, का0 अभिषेक सिंह, का0 दीपक सिंह, का0 सर्वेश मिश्रा, का0 वीर बहादुर यादव, का0 शुभम सिंह, का0 विवेक मिश्रा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

***थाना धनघटा पुलिस* द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

पीआरवी आफ द डे
पीआरवी 5262 द्वारा दो मोटरसाइकिल के आपस में टकरा होने के कारण दुर्घटना में घायल 04 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5262 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत नटवाखर्द चौराहा से कालर द्वारा दो मोटरसाइकिल के आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 04 व्यक्तियों (01.आसमा पत्नी शुभराती 02.शुभराती पुत्र अब्दुला निवासी गोपाला थाना घुघली जनपद महराजगंज 03.नितीश पुत्र रुदल 04.अंकित पुत्र रुदल निवासी सिसवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु स्थानीय अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर उक्त घायलों को ईलाज हेतु स्थानीय अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- का0 अन्जेश चौहान, हो0चा0 शशिकान्त।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 217 वाहनों से 2,45,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 01.03.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 217 वाहनों से 2,45,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।